अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2009

का.आ. 200(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस निमित्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0आ0 1643(अ), तारीख 29 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,— (क) अनुसूची —I में,

(i) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :- "2. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ज्ञापन की तीन प्रतियां और मध्यम उद्यमों के लिए ज्ञापन की चार प्रतियां फाइल की जानी चाहिए ।

(ii) भाग 1 में--

(क) क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

"13. संस्थित क्षमता (प्रस्तावित) प्रतिवार्षिक

(i) संयंत्र क	मात्रा -	इकाई
उत्पाद		
(ii) संयंत्र ख	मात्रा	इकाई
चत्पाद		
जत्पाद		
उत्पाद		
उत्पाद		

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़े)";

(iii) अभिस्वीकृति में " (पहले दो खाने" कोष्ठक और शब्दों से आरंम ने वाले और " (अंतिम पांच खाने उद्यमी ज्ञापन संख्या के लिए हैं)" पर समाप्त होने वाले कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"[पहले दो खाने राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के कोड के लिए, अगले तीन खाने जिला कोड के लिए, छठा और सातवां खाना उद्यम के प्रवर्ग के लिए (विनिर्माण या सेवा के लिए छठा खाना और सातवां खाना सूक्ष्म और अंतिम पांच खाने उद्यमी ज्ञापन संख्या के लिए है)]

यह अभिरवीकृति जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है।";

80					501	
	iv)	347	ग	2	Ĥ,	-

(क) क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

"14. संस्थित क्षमता प्रतिवार्षिक		
(i) संयंत्र क	मात्रा	इकाई
उत्पाद		
उत्पाद्		
उत्पाद		
उत्पाद		
(ii) संयंत्र ख	मात्रा	इकाई
उत्पाद		
(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़ें)" ;		
(v) अभिरवीकृति के स्थान पर निम्नलिखित अभिर	वीकृति रखी जाएगी, अर्थात्	10 mg
अभिस्वी	ोकृति	
भैसर्स ने प्ररूप सं		
उद्यमी ज्ञापन संख्या में उल्लिखित तथ्यों के अनुसा	र नीचे उपदर्शित मद/मदों के	लिए
पते पिन	पर ज्ञापन संख्या	पगञ्ज । पगया है ।

2. विनिर्मित किए जाने वाली /प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	विनिर्माण की मद/की गई सेवा का प्रमार	विनिर्माण के मामले में क्षमता	उत्पादन/सेवा के आरंभ की प्रारंभिक तारीख
1.	-		
2.	The state of the s	Mar	
3.			
4.			
5.			Mary and the second

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोडें)

तिथिवार विनिधान के अनुसार संयंत्र और मशीनरी का ब्यौरा

क्रम सं.	संयंत्र और मशीनरी/उपस्कर में विनिधान	विनिधान की तारीख
1.		
2.		
3.		

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना जोड़े)

4. टिप्पणः- इस अभिरवीकृति के जारी होने से कोई विधिक अधिकार नहीं प्रदान क्षेता है केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/न्यायालय आदेश की विधियों के अधीन अपेक्षित समाशोधन/अनुज्ञाप्ति मांग प्राप्त करने के लिए उद्यम अपेक्षित है ।

THE PARTY OF THE P	दिन	मास	वर्ष	वर्ष
5. सूक्ष्म/लघु से लघु /मध्यम या विपर्यंत प्रवर्ग में परिवर्तन की तारीख	20 1			
6. जारी करने की तारीख				
 क्रियाकलाप की प्रकृति (विनिर्माण-1, सेवाएं-2) 			+	
8. उद्यम का प्रवर्ग (सूक्ष्म -1, लघु-2, मध्यम -3)				

256 98/09-2

6

9 उद्यमी ज्ञापन सं.

भाग-11

"[पहले दो खाने राज्य और संघं राज्यक्षेत्र के कोड के लिए, अगले तीन खाने जिला कोड के लिए, छठा और सातवां खाना उद्यम के प्रवर्ग के लिए (विनिर्माण या सेवा के लिए छठा खाना और सातवां खाना सूक्ष्म और अंतिम पांच खाने उद्यमी ज्ञापन संख्या के लिए हैं)]"

तारीखः स्थानः

हस्ताक्षर शासकीय मुद्रा सहित

(ख) अनूसूची -2 में क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"13. "अभिरवीकृत उद्यमी ज्ञापन" रद किए जाने के लिए दायी होगा यदि इकाई छह मास से अधिक के लिए बंद पायी जाती है या फाइल किए गए उद्यमी ज्ञापन में गलत जानकारी दी है या इस अनुसूची के क्रम सं 10 पर अनुदेशों का पालन नहीं किया है (उक्त अधिनियम की घारा 8 उपघारा (3) और उपधारा (4) के उपबंघों के अधीन उद्यमी ज्ञापन को स्वीकार करने के लिए अधिसूचित प्राधिकारी से अन्यून किसी अधिकारी के अधीन किसी जांच द्वारा अनुसरित की जाने वाली लिखित शिकायत पर आधारित आरंभ की जाए) ।

14. उद्यम पुनः उद्यमी ज्ञापन भाग-2 फाइल करेगा यदि उद्यम की प्रास्थिति संयंत्र और मशीनरी /उपस्करों में विनिधान की वृद्धि/कमी के परिणामस्वरूप सूक्ष्म से लघु या लघु से मध्यम या विपर्यन परिवर्तित हो जाती है । ऐसे मामलों में पहले जारी की गई अभिस्वीकृति को रद किए जाने की आवश्यकता है और रद की गई अभिस्वीकृति की प्रति प्रमाणित के साथ रद्दकरण का पत्र उद्योगपित को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि वह कार्यकरण की अवधि के लिए फायदा यदि कोई हो उठा सके ।

15. सूक्ष्म और लघु उद्यमों (विनिर्माण और सेवा दोनों) द्वारा फाइल की गई उद्यमी ज्ञापन की तीन प्रतियों में से पहली जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रखी जानी चाहिए, दूसरी उद्यमी ज्ञापन संख्या आबंदित कर उद्यमी को वापस की जानी चाहिए और तीसरी प्रति संबद्ध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संख्यान को अग्रेषित की जानी चाहिए ।

16.मध्यम उद्यमों (विनिर्माण और सेवा दोनों) द्वारा फाइल की गई उद्यमी ज्ञापन की चार प्रतियों में से पहली जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रखी जानी चाहिए, दूसरी उद्यमी ज्ञापन संख्या आबंटित^उद्यमी को वापस की जानी चाहिए और तीसरी प्रति संबद्ध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान को अग्रेषित की जानी चाहिए, और चीथी प्रति विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति प्रभाग, सातव् तल, ए-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित की जानी चाहिए ।

17. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित कंपनियों सहकारी/ मागीदारी फर्म और न्यासों की दशा में उद्यम के नाम का परिवर्तन यदि कोई हो, महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र या राज/संघ राज्यक्षेत्र में उद्यमी ज्ञापन फाइल करने के लिए अधिसूचित प्राधिकारी को परिवर्तन होने की तीन मास के भीतर सूचना दी जानी चाहिए । स्वामित्व फर्मों की दशा में उसकी संसूचना किसी शपथ पत्र के साथ नाम में परिवर्तन की प्रभावी होने के तीन मास के भीतर दी जानी चाहिए।"

[फा. सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति]

माधव लाल, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 ,खंड 3 ,उपखंड (ii) में का.आ.सं. 1643 (अ) तारीख 29 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी । और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 941(अ), तारीख 7 जून, 2007 द्वारा संशोधन किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2009

s.O. 200(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendations of the Advisory Committee in this behalf, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises vide number, S.O. 1643 (E), dated the 29th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

(A) In Schedule I,-

- for the serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,--
- "2. THREE COPIES OF MEMORANDUM FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES AND FOUR COPIES FOR MEDIUM ENTERPRISES SHOULD BE FILED.",
- (ii) in PART I,-
- for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely,--

PRODUCT

PRODUCT

2. DETAILS OF ITEM/ITEMS TO BE MANUFACTURED/SERVICE TO BE PROVIDED

SL. NO.	Items of manufacture/type of service to be rendered	Capacity in case of manufacture	Initial date of production/ commencement of service
1.	and the first terms	system in the	
2.	Internal caselland	J. Marie Control	
3.	Early Difference and Indiana		
4.			
5.	I have a second		

NO......AND ALLOCATED ENTREPRENEURS' MEMORANDUM NO. AS

(add additional sheet if required)

3. DETAILS OF PLANT AND MACHINERY AS PER DATE-WISE INVESTMENT

SL NO.	Investment Machinery/Equ	in ipments	Plant	and	Date of Investment
1.			Party In-		
2.	S SERVED S TO SERVED S	an Talant	MP STATE OF		
3.		- Why			

(add additional sheet if required)

256 48/09-3

BELOW:

SIGNATURE

WITH OFFICE SEAL";

DATE:

PLACE:

	NOTE: THE ISSUE OF THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES LEGAL RIGHT. THE ENTERPRISE IS REQUIRED TO SEEK REQUIRENCE/ PERMIT REQUIRED UNDER STATUTORY OBLIGATION OF CENTRAL GOVERNMENT / STATE GOVERN	ATION STIPULATE
	DATE OF CHANGE OF CATEGORY FROM MICRO/SMALL TO SMALL/MEDIUM OR VICE VERSA.	A Y Y Y Y
	DATE OF ISSUE	YYYY
	NATURE OF ACTIVITY (MANUFACTURING-1, SERVICES-2)	
	CATEGORY OF ENTERPRISE (MICRO-1, SMALL -2, MEDIUM - 3)	
	ENTREPRENEURS MEMORANDUM NUMBER	PART-II
eve	NUMBER rst two boxes are for State/Union Territory code, next three boxes are for venth boxes are for category of enterprise (sixth box for indicting manu- venth box for indicating micro or small or medium) and last five boxe emorandum number]	

- (B) In Schedule II, after the serial number 12 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely,--
 - "13. The Acknowledged Entrepreneurs' Memorandum shall be liable to be cancelled in case the unit is found closed for more than 6 months or furnished wrong information in the Entrepreneurs' Memorandum filed or did not follow the instructions at serial number 10 of this Schedule (to be initiated based on any complaint in writing followed by an enquiry under an official not below the authority notified for accepting the Entrepreneurs' Memorandum under the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 8 of the said Act.
 - 14. The enterprise has to file the Entrepreneurs' Memorandum Part II again, in case, the status of the enterprise changes from micro to small or small to medium or vice versa, as a result of enhancement/decrease in the investment in plant and machinery/equipments. In such cases, the acknowledgement issued earlier need to be cancelled and the letter of cancellation along with the copy of the cancelled acknowledgement (certified) should be provided to the industrialist so that it may take benefit, if any, for that period of functioning.

- 15. Out of the three copies of the Entrepreneurs' Memorandum filed by the Micro and Small enterprises (both manufacturing and service), first should be retained by the District Industries Centre, second returned to the Enterprise with Entrepreneurs' Memorandum No. allotted, and third should be forwarded to Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute concerned.
- 16. Out of the four copies of the Entrepreneurs' Memorandum filed by the medium enterprises (both manufacturing and service), first should be retained by the District Industries Centre, second returned to the Enterprise with Entrepreneurs' Memorandum No. allotted, third forwarded to Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute concerned and fourth copy should be forwarded to the Micro, Small and Medium Enterprises Policy Division of the Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises), 7th floor, A Wing, Nirman Bhavan, New Delhi.
- 17. In case of companies as defined in Companies Act,1956, (1 of 1956) cooperative/partnership firms and trusts, the change of name of the enterprise, if any, should be informed to General Manager, District Industries Centre or the authority notified for filing of Entrepreneurs' Memorandum in the State/UT within three months of change. In case of ownership firms, the same should be communicated within three months of effecting the change in name along with an affidavit."

[F. No. 2(10)/2006-MSME Policy]

MADHAV LAL, Addl. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. 1643 (E), dated the 29th September, 2006 and further amended vide notification S.O. 941 (E), dated the 7th June, 2007.